



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11369

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **44703/2025**

श्रीमती हीराजू राजा एवं 3 अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: हिंछ लाल पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दीपक गौर

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. प्रत्यर्थी संख्या 4/श्रीमती रतन कुंवर द्वारा याचियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 176 के अंतर्गत वाद संख्या 296/2014-15 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी20150637022805) (श्रीमती रतन कुंवर बनाम राजेंद्र कुमार एवं अन्य) दायर करके कार्यवाही शुरू की गई थी। उपरोक्त कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, मोठ झाँसी द्वारा दिनांक 30.08.2016 को प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचियों ने प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन), झाँसी मंडल झाँसी के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत निगरानी संख्या 01009/2018 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी201806000001009) (श्रीमती हीराजू बनाम श्रीमती रतन कुंवर) दायर की, जिसे उनके द्वारा दिनांक 18.11.2025 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूँकि आदेश दिनांक 30.08.2016 एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, इसलिए याची के पास प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष पुनर्स्थापन/रिकॉल प्रार्थना पत्र दायर करने का उपचार उपलब्ध है। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याची ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
2. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गौर को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
3. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 176 के अंतर्गत वाद संख्या 296/2014-15 के रूप में शुरू की गई कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 30.08.2016 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष निगरानी दायर की गई थी और उसे भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूँकि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश दिनांक 30.08.2016 एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, इसलिए याची के पास प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष पुनर्स्थापन/रिकॉल प्रार्थना पत्र देने का उपचार है।

4. अभिलेख का अध्ययन करने और पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय की यह प्रथम दृष्टया राय है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन) झाँसी मंडल झाँसी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः सही और वैध आदेश है और इसमें इस न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
5. इस स्तर पर, याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचियों को प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, मोठ झाँसी के समक्ष रिकॉल प्रार्थना पत्र दायर करने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई है।
6. न्याय के हित में और प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन) झाँसी मंडल झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2025 में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान याचिका को याचों को आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, मोठ झाँसी के समक्ष विनंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ रिकॉल प्रार्थना पत्र दायर करने की अनुमति देते हुए निस्तारित किया जाता है। यदि याची ऐसा करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से आदेश पारित करेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"